

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 21(3)एचए/डीएमई/मैन पावर/पद सृजन/2022

जयपुर, दिनांक: 13 MAY 2022

निदेशक,
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी,
जयपुर।

13 MAY 2022

विषय:- एन.आई.सी.यू./पी.आई.सी.यू. के संचालन हेतु नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय मेडीकल कॉलेजों एवं राजमैस सोसाइटी के अधीन संचालित मेडीकल कॉलेजों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने हेतु स्थापित एन.आई.सी.यू./पी.आई.सी.यू. के संचालन हेतु निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

S.No.	Medical College	For Newly Established Intensive Care Units			For Converted Intensive Care Units		
		Nurse Grade - I	Nurse Grade - II	Ward Attendants	Nurse Grade - I	Nurse Grade - II	Ward Attendants
1	SMSMC, JAIPUR	3	75	24	11	325	113
2	RNTMC, UDAIPUR	1	25	8	7	205	71
3	GMC, KOTA	12	312	100	1	100	30
4	SNMC, JODHPUR	8	212	68	3	90	32
5	SPMC, BIKANER	0	0	0	7	210	74
6	JLNMC, AJMER	7	175	56	3	73	25
7	MC, BHILWARA	0	0	0	2	48	17
8	MC, BHARATPUR	3	75	24	0	16	5
9	MC, PALI	1	25	8	1	41	13
10	MC, CHURU	0	0	0	2	60	21
11	MC, SIKAR	2	39	12	0	16	5
12	MC, BARMER	0	0	0	2	60	21
13	RUHS-CMS	0	0	0	3	101	35
14	JHALAWAR	5	112	36	0	0	0
15	DUNGARPUR	4	100	32	0	0	0
	TOTAL	46	1150	368	42	1345	462

शर्त :- उक्त पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम, 2022 (Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022) के प्रावधानों के अनुसार राजमैस (RAJMES) द्वारा भरा जायेगा।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152200418 दिनांक 25.04.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


(इकबाल खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर/उदयपुर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, भीलवाड़ा/भरतपुर/पाली/चुरू/सीकर/बाड़मेर/डूंगरपुर।
7. डीन, चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड़।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी।
7. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.7(62)डीएमई/एकेड/नर्सिंग/2020

जयपुर, दिनांक: 16 MAY 2022

निदेशक,
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी,
जयपुर।

विषय:- राजमैस सोसायटी के अधीन तिजारा, अलवर में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हेतु नवीन पदों का सृजन।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजमैस सोसायटी के अधीन तिजारा, अलवर में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हेतु निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	Principle	01	
2	Vice Principle	01	
3	Professor	01	
4	Asso. Professor	02	
5	Asst. Professor	03	
6	Tutor	08	
7	Executive Asstt.	07	
8	Asst. Librarian	01	
9	MTS	10	On Contract basis From Agency
10	Security Guard	10	From REXCO
Total		44	


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152200481 दिनांक 10.05.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


(इकबाल खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमैस।
3. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट) विभाग।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/अकादमिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राजमैस।
7. प्रधानाचार्य संबंधित मेडिकल कॉलेज।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉलेज।
10. संबंधित प्रभारी/प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज।
11. रक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव